प्रेस नोट,

जनपद बस्ती।

दिनांक 11.06.2025

थाना रूधौली पुलिस द्वारा ड़डवा तिवारी में एक युवक को बेरहमी से पीटकर हत्या जैसे जघन्य अपराध को कारित करने वाले 04 वांछित अभियुक्तगण/ 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन व मोबाइल बरामद किया गया-

थाना रूधौली पुलिस द्वारा ड़डवा तिवारी में एक युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या जैसे जघन्य अपराध को कारित करने वाले 04 वांछित अभियुक्तगण/ 01 अभियुक्ता यथाक्रमशः 1-जमील अहमद पुत्र सैकुल्लाह ग्रा0 पिपरा खुर्द थाना रुधौली जनपद बस्ती, 2- आशीष मोदनवाल पुत्र जगदम्बा मोदनवाल सा0 डड़वा तिवारी थाना रुधौली जनपद बस्ती, 3- हमीदुल्लाह उर्फ बब्बू पुत्र मनौवर सा0 बैदौला वार्ड नं0 6 शिवाजी नगर थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर, 4- चंद्र प्रकाश पुत्र सुखराज विश्वकर्मा सा0 बैदौला वार्ड नं0 6 शिवाजी नगर थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर, को अरदमा मिल के आगे गंधारिया मोड पर समय करीब 1:30 बजे व 5- आयशा खातून पत्नी अब्दुल आहिल सा0 डड़वा तिवारी थाना रुधौली जनपद बस्ती को ग्राम डड़वा तिवारी समय करीब 8:30 बजे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन व मोबाइल बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में थाना रूधौली पर मु0अ0सं0 145/2025 धारा 190, 191(2), 103(1) BNS थाना रुधौली जनपद बस्ती पंजीकृत हुआ था। उक्त का खुलासा आपरेशन त्रिनेत्र में माध्यम से लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से कर पाना संभव हुआ |

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. जमील अहमद पुत्र सैकुल्लाह ग्रा0 पिपरा खुर्द थाना रुधौली जनपद बस्ती।
2. आशीष मोदनवाल पुत्र जगदम्बा मोदनवाल सा0 डड़वा तिवारी थाना रुधौली जनपद बस्ती।
3. हमीदुल्लाह उर्फ बब्बू पुत्र मनौवर सा0 बैदौला वार्ड नं0 6 शिवाजी नगर थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर।
4. चंद्र प्रकाश पुत्र सुखराज विश्वकर्मा सा0 बैदौला वार्ड नं0 6 शिवाजी नगर थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर।
5. आयशा खातून पत्नी अब्दुल आहिल सा0 डड़वा तिवारी थाना रुधौली जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल-
    a. UP 51 BM 7841 Hero HF Deluxe
    b. UP 51 BL 4378 Hero Splendor
2. घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल(अभियुक्तगण/अभियुक्ता)
3. मृतक का 01 अदद मोबाइल
4. आला कत्ल- बांस का भण्डा 4.5 फीट

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी- अरदमा मिल के आगे गंधारिया मोड पर, समय करीब (रात्रि) 1:30 बजे
अभियुक्ता की गिरफ्तारी- ग्राम डड़वा तिवारी समय करीब (सुबह) 8:30 बजे

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थी चंगेज आलम पुत्र ईसलाम मियां निवासी पिपरा वार्ड नंबर 8 थाना चनपटिया जिला (प0) चंपारण, बिहार द्वारा थाना रूधौली पर सूचना दिया गया कि उसके भाई अबूसाद उम्र 22 वर्ष जो पूना में काम करता था, वहां पर डड़वा तिवारी रुधौली के रहने वाली एक लड़की जो अपने माता-पिता के साथ रहती थी, जिससे बात व्यवहार हो गया था, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन लड़की की मां शादी के खिलाफ थी और झांसे में बातचीत करके अबूसाद व लड़की को दिनांक 08.6.2025 को डड़वा तिवारी बुला ली। यह बात अबूसाद ने अपने परिवार जन को बताया था। जब अबूसाद का फोन दो दिन तक नहीं आया तो परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका होने व मन घबराने पर खोजते खोजते डड़वा तिवारी पहुंचे, तो वहां लोगों से जानकारी मिली कि कल एक अज्ञात लड़का जिसकी उम्र 25 से 26 वर्ष की थी जिसे कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। जिसकी लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही कर रही है। मौजूद लोगों ने मृतक का शव का फोटो सोशल मीडिया पर दिखाया तो प्रार्थी अपने भाई के शव की फोटो देखकर पहचान लिया। उसके बाद लड़की(अबूसाद से बात व्यवहार) को ढूंढकर पूरा प्रकरण जान कर प्रार्थी द्वारा नामजद लोगों के विरूद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अभियुक्ता आयशा खातून के कहने पर लड़की व अबूसाद, जिसे अभियुक्ता द्वारा अपने घर के ऊपर वाले कमरे में पानी बिस्कुट देने के बाद बहाना बनाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया था, वहां पहुंचकर हम लोगों द्वारा पहले लड़की को मारा तथा अबूसाद को मारने लगे लेकिन वो भागना चाहा, जहां उसका पीछा कर लाठी डंडे से हमने अबूसाद को मारा। अभियुक्तगण की जामा तलाशी से उनके जेब से एक लाल रंग की कीपैड छोटा मोबाइल बरामद हुआ,जिस पर लावा लिखा हुआ था, पूछने पर बताये कि यह मोबाइल मृतक अबूसाद का है, उसकी हत्या करने के बाद पकड़े जाने के डर से उसका मोबाइल ले लिये थे, मोबाइल में लगा सिम तोड़कर फेंक दिया था। ये मोटरसाइकिलें हमारी है, इसी से हमलोग अबूसाद के पास गये थे और उसे डंडे से सिर पर मारा था और वह मर गया था।

अभियुक्तगण की निशानदेही पर अभियुक्ता की तलाश कर उसको उसकी बहन के घर से हिरासत पुलिस में लिया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि मैं अबूसाद व लड़की के बात व्यवहार से खुश नहीं थी, मैने बहुत मना किया लेकिन माने नहीं तो मजबूरन ऐसा कुछ करना पड़ा। गलती हो गयी, माफ कर दीजिए |

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 रूधौली विजय कुमार दूबे, जनपद बस्ती |
2. उ0नि0 जयप्रकाश मिश्र, उ0नि0 अनिल कुमार व उ0नि0 गोकरन पाण्डेय थाना रूधौली, जनपद बस्ती |

3. हे0का संतोष यादव, हे0का0 सुनील दत्त सरोज, हे0का0 धीरेंद्र दुबे, हे0का0 दीनानाथ यादव, का0 पंकज प्रजापति, का0 अंकित राय, का0 राजू यादव, का0 संतोष सिंह, का0 अमित सिंह, म0का0 रीना गौड़ थाना रूधौली, जनपद बस्ती |